International Journal of Education and Science Research Review
IJESRR
E-ISSN 2348-6457
Volume-6, Issue-2 May - 2019
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

अनुसूचित जनजाति के शहरी व ग्रामीण छात्रों का समायोजन, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 (श्रीमती) लवलता सिन्धु
एम0एस0सी0, एम0ए0, एम0एड0, पीएच0डी0
एसोसिएट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग)
मेरठ कालिज, मेरठ।

सारांश

किसी भी शोध के निष्कर्षो की उपयोगिता शैक्षिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही होती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्ष भी अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा एवं सामाजिक विकास तथा प्रगति में प्रभावकारी सिद्ध होगें इसी आशा के साथ शोधार्थी ने इस शोध कार्य को पूर्ण किया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन सम्बन्धी समस्याओं को समझनें में मदद मिलेगी। अध्यापकों तथा अभिभावकों को छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए छात्रों को दिये जाने वाले निर्देशन में सहायता मिलेगी। इससे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों पर सकारात्मक प्रभाव होगा क्योंकि समायोजन तथा शैक्षिक उपलब्धियों में धनात्मक सहसम्बन्ध होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के गृह समायोजन के लिए बालकों के अभिभावकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिसके लिए अभिभावकों द्वारा बालकों को गृह सम्बन्धी कार्यों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के बालकों के सामाजिक समायोजन को उच्च करने की आवश्यकता है इसके लिए विद्यालयों में सांस्कृतिक व पाठ्यसहगामी क्रियायें आयोजित की जानी चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र के बालकों के स्वास्थ्य समायोजन तथा विद्यालयी समायोजन को भी बेहतर करने की आवश्यकता है जिसके लिए विद्यालयों में खेल–कूद सम्बन्धी गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिये तथा अध्यापकों द्वारा बालकों की समस्याओं को रूचि पूर्वक सुनना चाहिये तथा उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिये। प्रस्तुत शोध अनुसूचित जनजाति के छात्रों की आर्थिक स्थिति को समझने में भी मद्दगार होगा। इसकी सहायता से अध्यापकों को अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन को समझने में सहायता मिलेगी क्योंकि समायोजन और आर्थिक स्थिति में धनात्मक सहसम्बन्ध होता है। यह शोध अनुसूचित जनजाति के छात्रों के कल्याण के लिये बनाई जाने वाली नीतियों के निर्धारण में भी मद्द करेगा।

प्रस्तावना

विश्व के प्रत्येक समाज में परिवर्तन के क्रम चल रहे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है इसलिये समाज के स्वरूप में परिवर्तन होना कई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रत्येक समाज में परिवर्तन उसकी संरचना तथा उसके कार्यों में भी परिवर्तन लाते हैं। लेकिन प्रत्येक समाज में परिवर्तन की भूमिका

और दिशा बदलती रहती है कुछ समाजों में यह दर तीव्र तो कुछ में कम या धीमी दृष्टिगोचर होती है।

सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा को एक सशक्त औजार या साधन माना गया है तथा यह है भी शिक्षा ही एक ऐसा यन्त्र है जो किसी समाज को विकास और प्रगति की ओर ले जाती है। शिक्षा की प्रक्रिया का मुख्य घटक बालक होता है अर्थात् किसी भी समाज में परिवर्तन के लिए उस समाज के बालकों का शिक्षित किया जाना अति आवश्यक है क्योंकि बालक ही किसी देश या समाज का भविष्य होते है तथा भविष्य की प्रगति या विकास का आधार बनते हैं। इसलिये किसी समाज या राष्ट्र के बालकों की शिक्षा में आने वाली समस्याओं को पहचान कर उनका निराकरण करना समाज या राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के शिक्षित बालक ही कल समाज में परिवर्तीं के अग्रदूत बनकर समाज को सामाजिक परिवर्तनों के लिए तैयार करते है।

भारत में वैदिक काल से ही समाज में विभिन्नता देखने को मिलती हैं। कार्यों के आधार पर समाज का विभाजन किया गया था, लेकिन आज इस विभाजन का आधार जन्म हो गया है। आज भारतीय समाज जातियों तथा वर्गों में विभाजित है। एक और जहॉ शिक्षित और समृद्धशाली उच्च वर्ग या उच्च जातियॉ है वही दूसरी ओर बहुसंख्यक, अशिक्षित निम्न जातियॉ या निम्न वर्ग है। राष्ट्रों की गरीबी तथा पिछड़ेपन का अध्ययन राष्ट्रों की सम्पत्ति तथा विकास से अधिक अपरिहार्य है। जाति, पन्थ, अमीरी, गरीबी के बीच पहले से ज्यादा असमानता को पहचानते हुए आज विकासशील देश अपनी दबी कुचली जातियों, आदिवासियों और उनके निम्न आय स्तर के बारे में ज्यादा जागरूक है। यह जानना स्पष्ट रूप से बेहद जरूरी हो गया है कि इन जातियों के लिए बनाई गयी विकास तथा शिक्षा की योजनायें कितना कार्य कर रही हैं।

<u>प्रस्तुत शोध के उद्देश्य</u>

किसी भी समस्या के अध्ययन के लिए उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए निम्नानुसार शोध उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है।

1. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन पर क्षेत्रीयता (शहरी व ग्रामीण) के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जनजाति के बालकों के समायोजन पर क्षेत्रीयता (शहरी व ग्रामीण) के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

3. अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के समायोजन पर क्षेत्रीयता (शहरी व ग्रामीण) के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. अनुसूचित जनजाति के शहरी छात्रों के समायोजन पर लैंगिकता के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण छात्रों के समायोजन पर लैंगिकता के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन का परिसीमन

सीमित साधनों और समय के कारण शोधकर्ता ने शोध के क्षेत्र को अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की जनसंख्या को उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल मण्डल के देहरादून जनपद की सीमाओं तक सीमित किया है। शोधकर्ता ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों की आर्थिक स्थिति, उनके समायोजन तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनके दृष्टिकोण को विचाराधीन किया है। शोधकर्ता ने अनुसूचित जनजाति के शहरी तथा ग्रामीण छात्रों (बालक व बालिकाओं) तक अपना दायरा सीमित रखा है।

सरकारी विद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 व 12) में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के बालक व बालिकाओं को अध्ययन के दायरे में रखा है। अध्ययनकर्ता ने अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण तथा शहरी छात्रों की आर्थिक स्थिति, समायोजन तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया है।

प्रस्तुत शोध में समायोजन को निम्न क्षेत्रों तक सीमित रखा गया।

1- गृह समायोजन
2- स्वास्थ्य समायोजन
3- भावनात्मक समायोजन
4- सामाजिक समायोजन
5- विद्यालयी समायोजन

निष्कर्ष

यह अध्ययन गढ़वाल मण्डल के देहरादून जिले के शहरी व ग्रामीण अनुसूचित जनजाति के छात्रों (बालक एवं बालिका) पर किया गया है। इस शोध अध्ययन से जो निष्कर्ष निकाले गये है, वे अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा शोध में प्रयुक्त उपकरणों में निहित कथनों पर मथनी के अनुसार

प्राप्तांकों एवं सार्थकता के आधार पर निकाले गये हैं। इसी कारण प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग अनुसूचित जनजाति के शहरी व ग्रामीण छात्रों के सन्दर्भ में ही किया जा सकता है। इन प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के विषय में निर्णय नहीं लिया जा सकता हे। वर्तमान अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल मण्डल के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के परिप्रेक्ष्य में ही प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान शोध की उपयोगिता उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के छात्रों तक ही सीमित है। इस शोध से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर अन्य जातियों के छात्रों के विषय में या अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजाति के छात्रों के विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रस्तुत अध्ययन के न्यादर्श में उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। प्राप्त निष्कर्षों की सार्थकता उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति के शहरी व ग्रामीण छात्रों के समायोजन, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनके दृष्टिकोण के तुलनात्मक स्वरूप को प्रकाश में लाने तक ही सीमित है।

शोध अध्ययन का शैक्षिक अनुशीलन

किसी भी शोध के निष्कर्षों की उपयोगिता शैक्षिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही होती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्ष भी अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा एवं सामाजिक विकास तथा प्रगति में प्रभावकारी सिद्ध होगें इसी आशा के साथ शोधार्थी ने इस शोध कार्य को पूर्ण किया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन सम्बन्धी समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। अध्यापकों तथा अभिभावकों को छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए छात्रों को दिये जाने वाले निर्देशन में सहायता मिलेगी। इससे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों पर सकारात्मक प्रभाव होगा क्योंकि समायोजन तथा शैक्षिक उपलब्धियों में धनात्मक सहसम्बन्ध होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के गृह समायोजन के लिए बालकों के अभिभावकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिसके लिए अभिभावकों द्वारा बालकों को गृह सम्बन्धी कार्यों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के बालकों के सामाजिक समायोजन को उच्च करने की आवश्यकता है इसके लिए विद्यालयों में सांस्कृतिक व पाठ्यसहगामी क्रियायें आयोजित की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के बालकों के स्वास्थ्य समायोजन तथा विद्यालयी समायोजन को भी बेहतर करने की आवश्यकता है जिसके लिए विद्यालयों में

खेल–कूद सम्बन्धी गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिये तथा अध्यापकों द्वारा बालकों की समस्याओं को रूचिपूर्वक सुनना चाहिए तथा उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत शोध अनुसूचित जनजाति के छात्रों की आर्थिक स्थिति को समझने में भी मद्दगार होगा। इसकी सहायता से अध्यापकों को अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन को समझने में सहायता मिलेगी क्योंकि समायोजन और आर्थिक स्थिति में धनात्मक सहसम्बन्ध होता है। यह शोध अनुसूचित जनजाति के छात्रों के कल्याण के लिये बनाई जाने वाली नीतियों के निर्धारण में भी मदद करेगा क्योंकि आर्थिक स्थिति के आधार पर ही कई प्रकार की योजनायें सरकार द्वारा संचालित की जाती है। जिनसे छात्रों की आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1- अग्रवाल अर्चना, 1992, 'ए सोशल, साइक्लोजिकल एण्ड एजूकेशनल स्टडी ऑफ शैड्यूल कॉस्टस स्टूडेन्टस इन हाई स्कूल ऑफ लखनऊ सिटी' पी–एच0डी0 शिक्षा शास्त्र लखनऊ विश्वविद्यालय।

2- अस्थाना कीर्ति, 1978, 'ए पर्सनालिटी वैरिएट्स ऑफ सोशियोमेट्रिक स्टेट्स इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन', पी–एच0डी0, शिक्षा शास्त्र, सागर विश्वविद्यालय।

3- ऑलपोर्ट जी डब्लयू0, 1985, 'एटीट्यूड इन हैण्ड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी', एडीसन सी0एम0 पुरचासन, मासः क्लार्क यूनिवर्सिटी प्रेस।

4- मा0 स्टेनर, 1944, 'स्ट्डीज ऑफ एग्रेसिव सोशल एटीट्यूड', जरनल ऑफ सोशल साइकोलॉजी, 20 पृष्ठ, 109–120

5- डॉलपोर्ट, 'द कम्पैरीजन ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड', अमेरिकन जरनल ऑफ सोशियोलॉजी, पृष्ठ 22–38

6- आर0लिर्कट, 1932, 'ए टैक्नीक फॉर दी मेजरमैन्ट ऑफ एटीट्यूड इन सोशल एटीट्यूडष, जरनल ऑफ साइकोलॉजी, न0 1401

7- आर0ऑलपोर्ट एण्ड एस0एस0 सार्जेन्ट, 'कंजरवैटिज्म, एडीक्लिज्म मेजरड वाई इमीडिएट इमोशनल रिएक्शन', जरनल ऑफ सोशल साइकोलॉजी, वाल्यूम 194, पृष्ठ 181–186

8- अल0एडवर्ड एण्ड के0 सी0 कैनी, 1946, 'ए कम्पैरीजन ऑफ थर्सटन एण्ड लिकर्ट टाईप
अजे0 टॉयन, 1942, 'स्टडी ऑफ हिस्ट्री', न्यूयार्क, आक्सफोर्ड यूनिवर्सटी प्रेस।

9- अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु संचालित योजनाओं की दिग्दर्शिका, निदेशालय जानजाति कल्याण उत्तराखण्ड